(2)

तहसीलदार महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र श्री कृपाल सिंह पुत्र बोबल - सिंह निवासी - शाहपुर के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल के साथ स्थलीय जाँच एवं आवश्यक पूछताछ की व अभिलेखों का निरीक्षण किया। जाँच आख्या निम्न प्रकार है।

महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी शाहपुर के नाम ग्राम जागूफतालपुर में 5.4525 हे०, ग्राम मिलक पुर में 0.1545 हे०, ग्राम - रहडवा गैर मजहूलमाली में 0.3975 हे०, यानि कुल 5.9975 हे० कृषि भूमि है। इन्होंने धोखाधड़ी व जालसाजी करके अपनी पत्नी निर्मल कौर को निर्मल कौर पुत्री गुरदयाल सिंह नि० शाहपुर दर्शाकर ग्राम - रहडवा गैर मजहूलमाली में निर्धारित सीमा से 3.574 हे० कृषि भूमि अधिक खरीद ली। जिसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री उ० प्र० यशवन्त सिंह जी द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी मु० नगर को अवगत कराया गया और जांच में उक्त शिकायत सही पाई गई। जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित किये जाने हेतु (धारा - 154(2)A) आख्या पूर्व में भेजी जा चुकी है। जो न्यायालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के यहाँ सरकार बनाम निर्मल कौर ग्राम - रहडवा गैर मजहूलमाली वाद सं० 5 व 3 विचाराधीन है।

उक्त महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह ने अपने पुत्र जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि० शाहपुर व कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर एक गैंग बना रखा है। और ये लोग, बेनामी सम्पत्ति, वन विभाग की भूमि, लावारिस लोगों की सम्पत्ति हथियारों के बल पर हथिया रहे हैं। इनके द्वारा ग्राम - मजाहिदपुर गैर मजहूलमाली खाता सं० 3 खसरा नं० $\frac{2}{0.672}$, $\frac{3/1}{3.839}$, $\frac{5/1}{0.973}$, 3/2.590 कुल 5 किते रकबा 9.375 भूमि जो केहर सिंह पुत्र सवदार सिंह व श्रीमती रेशम कौर पुत्री केहर सिंह निवासी - सहारनपुर के नाम पर अंकित है, पर हथियारों एवं गुण्डागर्दी के बल पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। क्योंकि यह बेनामी सम्पत्ति है क्योंकि इन नामों के व्यक्ति कभी ग्राम या आस पास क्षेत्र में नहीं रहे है। इस भूमि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा गांवसभा / राज्य सरकार में निहित किये जाने की आख्या प्रस्तुत की गई है। उक्त केस में श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जानसठ द्वारा उक्त भूमि को ग्राम-

क्रमशः

[signature] ह्रा०-मुजफ्फरनगर 25-06-2020 [signature] जानसठ

(1)

सभा में निहित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। जिसके सम्बन्ध में लेखपाल रिपोर्ट की छायाप्रति एवं श्रीमान न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ द्वारा जारी जा० नि० आज्ञापत्र - 57 की छायाप्रति संलग्न है।

इसी प्रकार ग्राम - रहड़वागो अहलमाली में खाता सं० 129 ख० नं० 298-च/0.133 व 307/2.723 हे० कुल 2 किते रकबा 2.856 हे० लगान 43.80 पर ईशम को पुत्र जसपाल सिंह नि०-शाहपुर, कानाम अंकित है। इसका कोई वारिस या कोई अतापता नहीं है। यह लावारिस भूमि है। इस भूमि को भी गांवसभा / राज्य सरकार में निहित किये जाने की रिपोर्ट क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा की गई है। और उक्त क्रम में न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त भूमि को ग्राम सभा में निहित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। इस भूमि पर भी उक्त महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह ने जबरदस्ती अवैध कब्जा किया हुआ है।

इसके अलावा ग्राम शाहपुर में ख० नं० 15। रकबा 0.780 हे० भूमि जो जगरोश पुत्र श्याम नि०-शाहपुर, जो अनु० जाति का व्यक्ति है, के नाम अंकित है जो तालिब ताबदार। है परन्तु इससमय यह व्यक्ति ग्राम-शाहपुर में निवास नहीं कर रहा है। इस भूमि को लावारिस मानते हुए धारा 186 के अन्तर्गत कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार जानसठ के यहां विचाराधीन है। इस भूमि पर भी उक्त महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है।

हल्का लेखपाल द्वारा ग्राम- रहड़वागो अहलमाली, मुजाहिदपुर गै० अहलमाली आदि ग्रामों में सम्बन्धित लावारिस भूमि की रिपोर्ट प्रेषित होने पर उक्त महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह द्वारा दिनांक 05-06-2010 में मेरे समक्ष निवास पर हमला किया, गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी देकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। जिसकी रिपोर्ट पीड़ित लेखपाल द्वारा थाना - रामराज में कराई गई है।

ग्राम- मुजाहिदपुर, गै० अहलमाली में वन्य जीव विहार की 12.958 हे० भूमि है। जिस पर वन विभाग का दखल किया जा चुका है। लेकिन उक्त महेन्द्र सिंह, जगदीप सिंह

[illegible] 28-06-2010

[illegible] (ह०)

क्रमशः

(3)

ने नत्थू पुत्र खान नि० जोश मुजाहिदपुर के साथ मिलकर उक्त भूमि में से 5.000 है० भूमि पर पुन: कब्जा कर लिया है और इनके द्वारा उक्त भूमि पर धान की रोपाई की तैयारी की जा रही है।

उक्त लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र देने वाले पर भी दिनांक 20-11-09 ई० में ग्राम शाहपुर के जंगल में हमला करके उनका ट्रैक्टर तोड़ दिया गया था जिसकी F.I.R. थाना रामराज में अंकित कराई गई थी।

महेन्द्रसिंह पुत्र कुन्दन सिंह नि० शाहपुर थाना — रामराज तहसील जानसठ के नाम D.B.B.L. लाइसेंस नं० 11 आग्नेयास्त्र नं० 80000/3 है जिसका उक्त व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। उक्त व्यक्ति क्षेत्र का एक बड़ा भूमाफिया है। जिसके द्वारा लगातार बेनामी सम्पत्ति, वनविभाग की भूमि, लापता पट्टेदारों की भूमि व विवादित भूमि पर कब्जे किए जा रहे हैं जिस कारण उक्त महेन्द्रसिंह का D.B.B.L. लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाना आवश्यक है।

(आख्या संस्तुति सहित सेवा में सादर प्रेषित है।) [illegible]

[illegible signature]
क्षेत्र- [illegible]
2?-06-2010

[illegible signature]
13/6/10

संलग्नक:- (1) माननीय मन्त्री डा० यशवन्त सिंह द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को भेजे गये पत्र दिनांक 12-11-2008 की छायाप्रति

(2) उक्त पत्र के क्रम में की गई जांच की छायाप्रति

(3) क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा ग्राम- रम्पुरा [illegible] मुजाहिदपुर गौसपुर रतनमाली की [illegible] भूमि [illegible] में की गई रिपोर्ट की छायाप्रति

(4) न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ द्वारा जारी [illegible] आदेश पत्र- 57 की छायाप्रति

(5) क्षेत्रीय लेखपाल का सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की F.I.R. की कापी

(6) प्रार्थना पत्र देने वाले की F.I.R. की कापी

(7) ग्राम मुजाहिदपुर गौसपुर [illegible] की वनविभाग की भूमि [illegible] की जांच की छायाप्रति

कुल संलग्नक (13 पृष्ठ)

(1) 76

तहसीलदार महोदय,

संलग्न प्रार्थनापत्र श्री कृपाल सिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी-शाहपुर के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल के साथ स्थलीय जाँच एवं आवश्यक पूछताछ कोर्ट व अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। जाँच आख्या निम्न प्रकार है।

जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि० शाहपुर के नाम 5.845 है० कृषि भूमि जो ग्राम-जगजीवनपुर, कुटरी, रहडवा अहतमाली परगना-[illegible] [illegible] में स्थित है।

उक्त जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह ने अपने पिता व कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक गैंग बना रखा है और ये लोग लावारिस, बेनामी, कन्विक्शन व लापता लोगों की उपरोक्त जायदाद भूसम्पत्ति पर अवैध कब्जे एवं आतंक के बल से जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इनके द्वारा ग्राम-मजाहिदपुर गैर अहतमाली के खाता सं० 3 खसरा नं० 2/0.172, 3/1/5.839, 4/1/0.973, 5/2.490 कुल 4 किता रकबा 9.374 है० भूमि जो केहर सिंह पुत्र सरदार सिंह व श्रीमती ईश्वर कौर पुत्री केहर सिंह नि० रामराज के नाम से अंकित है पर अवैध कब्जा एवं गुण्डागर्दी के बल पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। क्योंकि यह बेनामी हो जाती है। क्योंकि इन नामों के व्यक्ति कभी [illegible] [illegible] क्षेत्र में नहीं रहे हैं। उक्त भूमि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इस भूमि को ग्राम सभा / राज्य सरकार में निहित किये जाने की आख्या प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त न्यायालय [illegible] महोदय जानसठ द्वारा उक्त भूमि को ग्रामसभा में निहित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

इसी प्रकार ग्राम-रहडवा गैर अहतमाली के खाता सं० 129 खसरा नं० 298-च/0.133 व 307/2.723 है० कुल 2 किता रकबा 2.856 है० लगान 53.80 पर ईश्वर कौर पत्नी जयपाल सिंह निवासी शाहपुर का नाम अंकित है। इसके अतिरिक्त [illegible] कोई पता नहीं है। इस भूमि को भी ग्रामसभा में निहित किये जाने की रिपोर्ट क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा की जा चुकी है जो [illegible] न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त भूमि को ग्रामसभा में निहित किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार [illegible]

[illegible] 22-05-2010 [illegible] [illegible]

प्रारम्भ की जा चुकी है। इस भूमि पर भी उक्त जगदीप पुत्र महेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह पु० कुन्दन सिंह ने जबरदस्ती अवैध कब्जा किया हुआ है।

इसके अलावा ग्राम- शाहपुर में ख० न० 121 रकबा 0.480 हे० भूमि जो जगराज पुत्र ज्ञान सि०- शाहपुर के नाम पर खतौनी में आबंटन द्वारा प्राप्त है। जो इस समय महेन्द्र सिंह, जगदीप सिंह के कब्जे में है। यह व्यक्ति इस समय ग्राम- शाहपुर में निवास नहीं कर रहा है। इस भूमि को लावारिस मानते हुए धारा-186ZA के अन्तर्गत कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार जानसठ के यहां विचाराधीन है। इस भूमि पर भी उक्त जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है।

हल्का लेखपाल द्वारा ग्राम- बहलोलपुर/ अहसनाली मुजाहिदपुर गो० अहसनाली, व अन्य ग्रामों से सम्बन्धित लावारिस भूमि की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर उक्त जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 02-06-2010 को ग्राम- शाहपुर में तैनात लेखपाल पर हमला किया गया व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गयी जिसकी रिपोर्ट लेखपाल द्वारा थाना रामराज में कराई गई थी।

क०

ग्राम- मुजाहिदपुर गो० अहसनाली में वन्य जीव विहार की 12.154 हे० भूमि है। जिस पर वन विभाग को दखल दिया जा चुका है, लेकिन उक्त जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह ने नत्थू पुत्र ज्ञान सि० ग्राम मुजाहिदपुर के साथ मिलकर उक्त भूमि में 5.000 हे० भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया है। और इसके द्वारा भूमि पर धान की रोपाई की तैयारी की जा रही है।

उक्त लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र देने वाले श्री दिनांक 30-11-09 ई० में ग्राम- शाहपुर के जंगल में हमला करके उनका ट्रैक्टर छीन लिया गया था। जिसकी F.I.R. थाना रामराज में अंकित कराई गई थी।

जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि० शाहपुर के नाम राईफल का एक लाइसेंस है जिसका लाइसेंस नम्बर 1554 व आग्नेयास्त्र नम्बर AB.982226 है। जिसका

तहसीलदार
12-06-2010

15/6/10

क्रमशः:

उक्त व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। उक्त व्यक्ति क्षेत्र का एक बड़ा भूमाफिया है। जिसके द्वारा लगातार बेनामी सम्पत्ति, वन विभाग की भूमि, लापता पट्टों की भूमि व विवादित भूमियों कब्जे किये जा रहे हैं। जिस कारण उक्त जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि॰ - शाहपुर थाना - रामराज का राईफल का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाना आवश्यक है।

आख्या संस्तुति सहित सेवा में सादर प्रेषित है।

[signature]
15/6/10
[illegible]

[signature] [illegible]
15-06-2010

संलग्नक:-

1. माननीय मंत्री [illegible] यशवन्त सिंह द्वारा जिलाधिकारी महोदय मु॰नगर को भेजे गये पत्र दिनांक 12-11-2008 ई॰ की छायाप्रति
2. उक्त पत्र के क्रम में भेजी गई जाँच की छायाप्रति
3. क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा ग्राम - रहड़वा गौ॰ महलाली व मुजाहिदपुर गौ॰ महलाली की लावारिस भूमि के सम्बन्ध में भेजी गई रिपोर्ट की छायाप्रति
4. न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ द्वारा जारी [illegible] पत्रादि की छायाप्रति
5. क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा कराई गई F.I.R. की छायाप्रति
6. प्रार्थना पत्र [illegible] की F.I.R. की छायाप्रति
7. ग्राम - मुजाहिदपुर गौ॰ महलाली की वन विभाग की भूमि सम्बन्धित जाँच की छायाप्रति।

(कुल संलग्नक 13 पृष्ठ)

2821/ST

जिला मजिस्ट्रेट
मु॰नगर

महोदय
श्री जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि॰ग्रा॰ शाहपुर थाना रामराज

उपजिलाधिकारी महोदय

प्रकरण की प्रभारी थानाध्यक्ष से विस्तृत जाँच रिपोर्ट ली गई। उपरोक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर श्री जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि॰ शाहपुर थाना रामराज का रायफल लाइसेंस निरस्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

[signature]
16/6/10

P.T.O.

तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर के पास रायफल है। यह व्यक्ति मनबढ़, दबंग व असामाजिक तत्वों को आश्रय देता है। विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना, स्वयं तथा अन्य दुष्चरित्र व्यक्तियों को कोष यन्त्र, धन व अन्य का अनुचित सहारा देकर वनभूमि पर अधिकार करना व करवाकर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। इसके कृत्य से जनता में दहशत, सन्त्रास व आतंक फैल रहा है।

अतः न्यायहित जनहित में श्री जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि० उक्त के पास रायफल की अनुज्ञप्ति निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।

SDM(J)
24.7.2010

(ए०एच०.कर्नी)
उप जिलाधिकारी/ उप जिला मजिस्ट्रेट
जानसठ (मु०नगर)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर।

संख्या– 2720 /रीडर (8) दिंनाक 05 –8–2010

धारा–17(3) शस्त्र अधिनियम

कारण बताओं नोटिस

श्री महेन्द्रसिंह पुत्र कुन्दनसिंह
निवासी–शाहपुर
थाना–रामराज, मुजफ्फरनगर।

उप जिलामजिस्ट्रेट जानसठ द्वारा अपनी रिपोर्ट दिंनाक 24–7–2010 के साथ तहसीलद जानसठ की विस्तृत रिपोर्ट मूल रूप में संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि आपके प डी0बी0बी0एल0 का शस्त्र लाईसैंस है। आप अपने पास मनबढ, दंबंग व असामाजिक तत्वों को आश्रय दे है। आपके द्वारा लाईसैंसी हथियार के बल पर स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना, स्वयं तथा दुष्चरि व्यक्तियों का अनुचित सहारा लेकर वन भूमि पर अधिकार करना व अन्य व्यक्तियों को करवा कर वन्य जी संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों का उलघंन किया जा रहा है। आपके इस कृत्य से जनता में दहशत आतंक फैल रहा है। भविष्य में लाईसैंसी शस्त्र के दुरूपयोग की सम्भावना को देखते हुए उप जिल मजिस्ट्रेट जानसठ द्वारा शस्त्र लाईसैंस संख्या–11 (डी0बी0बी0एल0) को जनहित में निरस्त किये जाने व संस्तुति की गई है।

अतः उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ की संस्तुति एंव उपरोक्त कारणों से सहमत होते हुए संतोष कुमार यादव, जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर लोकशान्ति एंव लोकसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा–17(3) के अर्न्तगत प्राविधानों के उलघंन के आरोप में आपका शस्त्र लाईसैंस संख्या–11 तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ और आदेश देता हूँ कि आप नोटिस प्राप्त होने के 1 दिवस के अन्दर लिखित रूप में कारण बतायें कि क्यों न उक्त कारणों के आधार पर आपका शस्त्र लाईसैंस निरस्त कर दिया जाये। यदि नियत अवधि के अन्दर आपका लिखित उत्तर प्राप्त नही होता है त यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है और मामलें में एक पक्षीय निर्णय ले लिया जायेगा। आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि आप अपना लाईसैंसी शस्त्र कारतूस सहित तुरन्त थाने में जमा करादें।

(संतोष कुमार यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर।
2–प्रभारी अधिकारी शस्त्र।
3–उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ।
4–थाना प्रभारी रामराज को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि एक प्रति लाईसैंसी को देकर दूसरी प्रति पर उसके दिंनाक सहित हस्ताक्षर प्राप्त शस्त्र व कारतूस थाने में जमा कराकर लाईसैंस अनुपालन आख्या के साथ नियत दिंनाक 25 – 8–2010 से पूर्व न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(संतोष कुमार यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर।

संख्या- 2719 /रीडर (5)

दिंनाक 03-8-2010
धारा-17(3) शस्त्र अधिनियम

कारण बताओं नोटिस

श्री जगदीपसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
निवासी-शाहपुर
थाना-रामराज, मुजफ्फरनगर।

उप जिलामजिस्ट्रेट जानसठ द्वारा अपनी रिपोर्ट दिंनाक 24-7-2010 के साथ तहसीलदार जानसठ की विस्तृत रिपोर्ट मूल रूप में संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि आपके पास राईफल का शस्त्र लाईसैंस है। आप अपने पास मनबढ, दंबग व असामाजिक तत्वों को आश्रय देते है। आपके द्वारा लाईसैंसी हथियार के बल पर स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना, स्वयं तथा दुष्चरित्र व्यक्तियों का अनुचित सहारा लेकर वन भूमि पर अधिकार करना व अन्य व्यक्तियों को करवा कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों का उलघंन किया जा रहा है। आपके इस कृत्य से जनता में दहशत व आतंक फैल रहा है। भविष्य में लाईसैसी शस्त्र के दुरूपयोग की सम्भावना को देखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ द्वारा शस्त्र लाईसैंस संख्यां-155 (राईफल) को जनहित में निरस्त किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ की संस्तुति एंव उपरोक्त कारणों से सहमत होते हुए मैं संतोष कुमार यादव, जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर लोकशान्ति एंव लोकसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-17(3) के अन्तर्गत प्राविधानों के उलघंन के आरोप में आपका शस्त्र लाईसैंस संख्या-155 तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ और आदेश देता हूँ कि आप नोटिस प्राप्त होने के **15 दिवस के अन्दर** लिखित रूप में कारण बतायें कि क्यों न उक्त कारणों के आधार पर आपका शस्त्र लाईसैंस निरस्त कर दिया जाये। यदि नियत अवधि के अन्दर आपका लिखित उत्तर प्राप्त नही होता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है और मामलें में एक पक्षीय निर्णय ले लिया जायेगा। आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि **आप अपना लाईसैंसी शस्त्र कारतूस सहित तुरन्त थाने में जमा करादें।**

(संतोष कुमार यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर।
2-प्रभारी अधिकारी शस्त्र।
3-उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ।
4-थाना प्रभारी रामराज को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि एक प्रति लाईसैंसी को देकर दूसरी प्रति पर उसके दिंनाक सहित हस्ताक्षर प्राप्त शस्त्र व कारतूस थाने में जमा कराकर लाईसैंस अनुपालन आख्या के साथ नियत दिंनाक 25-8-2010 से पूर्व न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(संतोष कुमार यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर

वाद संख्या– 01 /2010–11

धारा–17(3) शस्त्र अधिनियम
थाना–रामराज, मुजफ्फरनगर

सरकार बनाम श्री महेन्द्रसिंह पुत्र कुन्दनसिंह
निवासी–शाहपुर
थाना–रामराज, मुजफ्फरनगर

आदेश

लाईसैंसी श्री महेन्द्रसिंह पुत्र कुन्दनसिंह निवासी शाहपुर थाना रामराज जिला मुजफ्फरनगर के विरूद्ध शस्त्र लाईसैंस निरस्तीकरण की कार्यवाही उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ की रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भ की गई। उप जिलाधिकारी जानसठ द्वारा तहसीलदार जानसठ की रिपोर्ट दिंनाक 16–6–2010 को मूल रूप में संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि लाईसैंसी एक दबंग एंव असामाजिक व्यक्तियों को आश्रय देने वाला व्यक्ति है। लाईसैंसी के द्वारा लाईसैंसी हथियार के बल पर स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना, स्वयं तथा दुष्चरित्र व्यक्तियों का अनुचित सहारा लेकर वन विभाग की भूमि पर अधिकार करना व अन्य व्यक्तियों को करवा कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों का उलघंन किया गया है, इससे लाईसैंस के इस कृत्य से जनता में दहशत एंव आंतक फैल रहा है। इस सम्बन्ध में लाईसैंसी के विरूद्ध थाना रामराज पर मु0अ0सं0–187/10 धारा–323, 504, 506, 353 आई0पी0सी0 पजीकृत है। उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ द्वारा लाईसैसी को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए उसका राईफल का लाईसैंस संख्या–11 को जनहित में निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त कारणों से सहमत होते शस्त्र लाईसैंस संख्या–11 (डी0बी0बी0एल0) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए दिंनाक 03–8–2010 को निरस्तीकरण हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

कारण बताओं नोटिस के उत्तर में लाईसैंसी द्वारा दिंनाक 09–8–2010 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि कारण बताओं नोटिस विधि विरूद्ध है जो खंडित होने योग्य है। कारण बताओं नोटिस में शस्त्र का दुरूपयोग होना व शस्त्र लाईसैंस निरस्त किये जाने का आधार नही दर्शाया गया है केवल सम्भावनाओं के आधार पर शस्त्र लाईसैंस निरस्त नही किया जा सकता है। लाईसैंसी द्वारा असामाजिक तत्वों का सहारा एंव स्थावर सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने की कौशिश नही की गई है। उप जिलाधिकारी जानसठ प्रार्थी से द्वेषभावना रखते है इसलिये लाईसैंस को निरस्त किये जाने की रिपोर्ट दी गई है। प्रार्थी द्वारा वन विभाग की भूमि पर भी कब्जा नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा कारण बताओं नोटिस को वापस लिया जाकर शस्त्र लाईसैंस बहाल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

लाईसैंसी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिंनाक 3–11–2010 को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिटयाचिका संख्या–57482/2010 महेन्द्रसिंह बनाम राज्य सरकार आदि में पारित आदेश दिंनाक 20–9–2010 की सत्यप्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के दिंनाक से दो माह के अन्दर प्रकरण का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिंनाक 20–9–2010 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण करने हेतु नियत दिंनाक पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से विदित है कि लाईसैंसी के विरूद्ध शस्त्र लाईसैंस निरस्तीकरण की कार्यवाही उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ की रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भ करते हुए नियमानुसार कारण बताओं नोटिस दिंनाक 03–8–2010 को जारी किया। लाईसैंसी द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर में कारण बताओं नोटिस में अंकित तथ्यों को विधि विरूद्ध बताते हुए कारण बताओं नोटिस को वापस लिया जाकर शस्त्र लाईसैंस बहाल किये जाने का अनुरोध किया गया। लाईसैंसी द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर दिंनाक 09–8–2010 पर सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आख्या प्राप्त की गई। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ की आख्यानुसार लाईसैंसी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसके विरूद्ध मु0अ0सं0–1064/08 धारा–420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0 तथा मु0अ0सं0–187/10 धारा–323, 504, 506, 353 आई0पी0सी0 पजीकृत है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ द्वारा लाईसैंसी का आचरण, व्यवहार, आमख्याति तथा चरित्र अत्यन्त खराब बताते हुए शस्त्र लाईसैंस को जनहित में निरस्त किये जाने की संस्तुति की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भी लाईसैंसी शस्त्र के दुरूपयोग की सम्भवना को देखते हुए शस्त्र लाईसैंस को बहाल किये जाने की संस्तुति नही की गई है। ऐसीस्थिति में शस्त्र लाईसैंस बहाल किया जाना जनहित में उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपुर्यक्त विवेचना के आधार पर लाईसैंसी महेन्द्रसिंह पुत्र कुन्दनसिंह निवासी शाहपुर थाना रामराज जिला मुजफ्फरनगर को निर्गत शस्त्र लाईसैंस संख्या–11 (डी0बी0बी0एल0) तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ, थानाध्यक्ष रामराज को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद पूर्ति अभिलेखागार में संचित की जाये।

दिंनाक 03–11–2010

(संतोष कुमार यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव दिंनाकित कर खुले न्यायालय मेंउदघोषित किया गया।

दिंनाक 03–11–2010

(संतोष कुमार यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

(1) 16

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर

वाद संख्या– 02 / 2010–11

धारा–17(3) शस्त्र अधिनियम
थाना–रामराज, मुजफ्फरनगर

सरकार बनाम श्री जगदीपसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
निवासी–शाहपुर
थाना–रामराज, मुजफ्फरनगर

आदेश

लाईसेंसी [illegible] जगदीपसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह निवासी शाहपुर थाना रामराज जिला मुजफ्फरनगर के विरुद्ध शस्त्र लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ की रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भ की गई। उप जिलाधिकारी जानसठ द्वारा तहसीलदार जानसठ की रिपोर्ट दिनांक 16–6–2010 को [illegible] संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि लाईसेंसी एक दबंग एवं असामाजिक व्यक्तियों को आश्रय देने वाला व्यक्ति है। लाईसेंसी के द्वारा लाईसेंसी हथियार के बल पर [illegible] सम्पत्ति पर [illegible] तथा दुस्साहस व्यक्तियों का अनुचित सहारा लेकर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करना व अन्य व्यक्तियों को करवा कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, इससे लाईसेंसी के इस कृत्य से जनता में दहशत एवं आतंक फैल रहा है। इस सम्बंध में लाईसेंसी के विरुद्ध थाना रामराज पर मु0अ0सं0–187 / 10 धारा–323, 504, 506, 353 आई0पी0सी0 पंजीकृत है। उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ द्वारा लाईसेंसी को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए उसका [illegible] का लाईसेंस संख्या 155 को जनहित में निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। [illegible] कारणों से सहमत होते शस्त्र लाईसेंस संख्या–155 (राईफल) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए दिनांक 03–8–2010 को निरस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

कारण बताओ नोटिस के उत्तर में लाईसेंसी द्वारा दिनांक 09–8–2010 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए [illegible] कि कारण बताओ नोटिस विधि विरुद्ध है जो खंडित होने योग्य है। कारण बताओ नोटिस में शस्त्र का दुरूपयोग होना व शस्त्र लाईसेंस निरस्त किये जाने का आधार नहीं दर्शाया गया है [illegible] मात्र के आधार पर शस्त्र लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है। लाईसेंसी द्वारा [illegible] का सहारा एवं [illegible] सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई है। [illegible] जानसठ प्रार्थी से [illegible] रखते है इसलिये लाईसेंस को निरस्त किये जाने की रिपोर्ट की गई है। प्रार्थी द्वारा वन विभाग की भूमि पर भी कब्जा नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस को वापस लिया जाकर शस्त्र लाईसेंस बहाल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

लाईसेंसी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 3–11–2010 को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिटयाचिका संख्या–49426 / 2010 जगदीपसिंह बनाम राज्य सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 18–8–2010 की सत्यप्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के दिनांक से तीन माह के अन्दर प्रकरण का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–8–2010 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण करने हेतु नियत दिनांक पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से विदित है कि लाईसेंसी के विरूद्ध शस्त्र लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ की रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भ करते हुए नियमानुसार कारण बताओ नोटिस दिनांक 03–8–2010 को जारी किया। लाईसेंसी द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर में कारण बताओ नोटिस में अंकित तथ्यों को विधि विरूद्ध बताते हुए कारण बताओ नोटिस को वापस लिया जाकर शस्त्र लाईसेंस बहाल किये जाने का अनुरोध किया गया। लाईसेंसी द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर दिनांक 09–8–2010 पर सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आख्या प्राप्त की गई। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ की आख्यानुसार लाईसेंसी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसके विरूद्ध मु0अ0सं0–1064 / 08 धारा–420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0 तथा मु0अ0सं0– 187 / 10 धारा–323, 504, 506, 353 आई0पी0सी0 पंजीकृत है जो [illegible] में विचाराधीन है। उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ द्वारा लाईसेंसी का [illegible] आपराधिक स्वभाव बताते हुए शस्त्र लाईसेंस को जनहित में [illegible] की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भी लाईसेंसी शस्त्र के दुरूपयोग की सम्भावना [illegible] हुए शस्त्र लाईसेंस को बहाल किये जाने की संस्तुति नही की गई है। ऐसीस्थिति में शस्त्र लाईसेंस बहाल किया जाना जनहित में उचित प्रतीत नही होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर लाईसेंसी जगदीपसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह निवासी शाहपुर थाना रामराज जिला मुजफ्फरनगर को निर्गत शस्त्र लाईसेंस संख्या–155 (राईफल) तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ, थानाध्यक्ष रामराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद पूर्ति अभिलेखागार में संचित की जाये।

दिनांक 03–11–2010

(संतोषकुमार यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

आदेश [illegible] न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक [illegible]

(संतोषकुमार यादव)
[illegible]
[illegible]